संख्या-19/2026/28/22-2-2025-17(1435)/2022

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 09 जनवरी, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय पुत्र श्री विद्यानन्द जाटव, निवासी-जनपद-बुलन्दशहर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-555/प्रो०अनु०(2)-283/2024 (बैठक दिनांक-31.12.2024), दिनांक 03.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय पुत्र श्री विद्यानन्द जाटव, जो मौ0-जाटवान, कस्बा व थाना-बी0बी0 नगर, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। दिनांक 26.04.2008 को पीड़िता आयु करीब ढाई वर्ष को बंदी गोद में लेकर खिला रहा था और टाफी दिलवाये जाने बहाने ईख के खेत में ले जाकर पीड़िता के साथ बलात्कार किया जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। बंदी को उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण सं0-889/2008, 106/2009, भा0द0वि0 की धारा-376(2)(च), 304 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या-03, बुलन्दशहर, के आदेश दिनांक 26.09.2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13.08.2018 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 19.12.2024 तक अपरिहार 16 वर्ष, 07 माह, 23 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 04 माह, 08 दिन की सजा भोग ली गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 19.12.2024 तक 41 वर्ष 04 माह 09 दिन है।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9(2) के प्राविधान के अनुरूप लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 05 बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित करते हुये उल्लेख किया गया है कि (1) बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। (2) बंदी पुनः अपराध कारित कर सकता है। (3) बंदी अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है। (4) बंदी के परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सामान्य है। तद्नुसार बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि दिनांक 26.04.2008 को पीड़िता आयु करीब ढाई वर्ष को बंदी गोद में लेकर खिला रहा था और टाफी दिलवाये जाने बहाने ईख के खेत में ले जाकर पीड़िता के साथ बलात्कार किया जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर की आख्या / संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अर्न्तगत सिद्धदोष बन्दी विजय पुत्र विद्यानन्द जाटव को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी विजय (बन्दी संख्या-17424) पुत्र श्री विद्यानन्द जाटव, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-19/2026/28(1)/22-2-2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in